

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(8)राज/वाद/24

जयपुर दिनांक: 12/08/2026

--- शुद्धि पत्र ---

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.08.2026 के द्वारा श्री राजेश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक 649 दिनांक 10.08.2026 के क्रम में उनकी साहाय्यता, आदेश में वर्णित अधिवक्तागण को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की गयी थी।

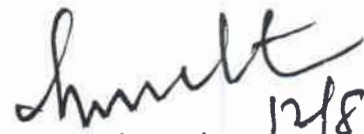
उक्त आदेश दिनांक 10.08.2026 में वर्णित सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्नानुसार पढ़ी जावे :-

1. जूनियर अधिवक्ता के लिए राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 20 प्रतिशत राशि इस विभाग के आदेश क्रमांक 12(3) राज/वाद/18 पार्ट दिनांक 08.08.2026 के अनुसार देय होगी।
2. वह (जूनियर अधिवक्ता) किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों को ऐसे किसी भी प्रकार से सेवा प्रदाता नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हों।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ट.
(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंडल कक्ष।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विधान महाधिवक्ता, जयपुर।
4. सम्बन्धित राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता।
5. सम्बन्धित अधिवक्तागण।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकाशक।
- ✓ 9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)